न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून

वाद सं0– 07 / 2025

धारा–17(3)(ख) शस्त्र अधिनियम
थाना– नेहरू कॉलोनी

सरकार बनाम कैलाश चन्द घिल्डियाल

निर्णय

उपरोक्त वाद की कार्यवाही श्री विकास घिल्डियाल पुत्र श्री कैलाश चंद घिल्डियाल व श्रीमती गोदाम्बरी देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द घिल्डियाल निवासीगण मकान नं0 118 ए ब्लाक, अमरनाथ कालोनी, रेसकोर्स देहरादून द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 14.07.2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। नियमानुसार वाद दर्ज कर सुनवाई की गयी।

श्री विकास घिल्डियाल पुत्र श्री कैलाश चंद घिल्डियाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के माता–पिता का तलाक का मुकदमा चल रहा है परन्तु प्रार्थी पिता के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही आया है। प्रार्थी माता जी के साथ आये दिन लडाई झगडा, मारपीट किया करते है। यह कई वर्षों से लगातार चल रहा है, जिसके चलते प्रार्थी की माता जी न्यूरोलॉजी (Neurology) की बीमारी से ग्रस्त हो गई है। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका वर्तमान में श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम तीन भाई है। हमारे द्वारा जब भी अपने पिता जी का विरोध किया गया तो वह अपनी बन्दूक जिसकी लाईसेंस की कापी प्रति संलग्न है, से मेरी माता जी और हमें धमकाया करते है, हमारे घर की स्थिति भी ठीक नही है, घर मे भय का वातावरण उत्पन्न हो रखा है। मेरे पिताजी अत्यधिक हिंसक व क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति है, और शराब का भी अत्यधिक सेवन करते है। वो वर्तमान मे (12BN I.T.B.P) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मातली उत्तरकाशी जिले में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। उनका अक्सर घर आना जाना लगा रहता है। वह जब भी घर आते है तो शराब पीकर मेरी माता जी और हमारे साथ गाली–गलौच व मारपीट करते है, साथ ही साथ वो जल्द ही रिटायर (सेवानिवृत्त) होने वाले है, जिस कारण मुझे अक्सर ये चिंता और भय बना रहता है, कि भविष्य में हमारे परिवार में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जायें। प्रार्थी द्वारा अपने पिता का शस्त्र लाईसेंस नं0–LN34041A7A53519/123/PS Nehru Colony DDUN को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

संयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून द्वारा अपनी विधिक आख्या दिनांक 14.07.2025 में उल्लेख किया गया है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(b) व धारा–5 एवं शस्त्र नियम का नियम 32(3) व नियम 32(4) के प्रावधान सुसंगत हैं जो इस प्रकार है:–

Arms Act Section (17);- Variation, Suspension and revocation of licences:-

(3) The licensing authority may by order in waiting suspend a licence for such period as it thinks fit or revoke a licence:-

(a) If the licensing authority is satisfied that the holder of the licence is prohibited by this Act or by ay other law for the time being in force, from acquiring, having in his possession or carrying any arms or ammunition, or is of unsound mind, or is for any reason unfit for a licence under this Act; or

(b) if the licensing authority deems it necessary for the security of the public peace or for public safety to suspend or revoke the licences.

(5) Where the licensing authority makes an order varying a licence under sub- section (1) or an order suspending or revoking a licence under sub- section (3) it shall record in writing the reasons therefor and furnish to the holder of the licence on demand a brief statement of the same unless in any case the licencing authority is of the opinion that it will not be in the public interest to furnish such statement .

Rule 32: Restrictions on carrying of firearm in Public place:-

(3) Brandishing or discharge of firearms or blank-firing firearms in any public place or a firearm free zone is strictly prohibited.

(4) Any violation of this rule shall be liable to revocation of the licence and seizure of the firearm in addition to the penalty specified under the Act.

उपरोक्त शस्त्र अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार ऐसी कोई सूचना हो कि कोई अनुज्ञाप्तिधारी अपने शस्त्र का दुरूप्रयोग करता है जो कि लोक शांति और लोक अथवा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है तो अनुज्ञाप्ति प्राधिकारी लाईसन्स को निलम्बित/रद्द कारणों को लेखबद्व करते हुए कर सकता है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा अपने न्याय निर्णयन में अभिनिर्धारित किया है कि:–

1- Chhanga Prasad Sahu Vs. State of U.P., AIR 1986 Allahabad High court hold that- "if it becomes quite apparent to the licensing authority that the possession of arms by licence is going to disturb or endanger " public peace & safety ," it can straightway and without any further enquiry revoke/ suspend such licence.

2- Kailash Nath Vs. State of U.P., AIR 1985, Allahabad High court held that -
"A licence-holder must be given an opportunity of hearing before revocation / suspension of his/her licence. if due to some unavoidable reasons, revocation / suspension of the arms licence is ordered, it is an obligation on the part of the licensing authority to allow a post-decisional hearing.

इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण श्री विकास घिल्डियाल पुत्र श्री कैलाश चंद घिल्डियाल व श्रीमती गोदाम्बरी देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द घिल्डियाल के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी श्री कैलाश चंद घिल्डियाल द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों को आये दिन डराया एवं धमकाया जाता है। यदपि इस बावत पुलिस को कोई रिपोर्ट की गयी हो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं है। परन्तु क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होकर अपनी व्यथा बयान की गयी है और प्रथम दृष्टया यह भी स्थापित है कि शिकायकर्ता श्रीमती गोदाम्बरी देवी व उनके पति श्री कैलाश चन्द घिल्डियाल के मध्य पारिवारिक विवाद है, जो स्वयं में एक मानसिक दबाव की स्थिति है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टिया यह समाधान का कारण है कि विपक्षी केद्वारा कभी भी किसी बड़ी घटना को कारित किया जा सकता है और कोई अप्रिय घटना घटित होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। लोक शान्ति, पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में अनुज्ञप्तिधारी श्री कैलाश चंद घिल्डियाल के शस्त्र लाइसेंस सं०– LN34041A7A53519/123/PS Nehru Colony DDUN के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु उक्त तात्कालिक परिस्थिति परिलक्षित होती है।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण श्री विकास घिल्डियाल पुत्र श्री कैलाश चंद घिल्डियाल व श्रीमती गोदाम्बरी देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द घिल्डियाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2025 का परिशीलन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी को जिन शर्तों के अधीन लाईसेन्स प्रदान किया गया था, उसका उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, जो **आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (क) और (ख) तथा आयुध नियम, 2016 के नियम 32(3) व (4) का उल्लंधन है।** प्रार्थीगण श्री विकास घिल्डियाल पुत्र श्री कैलाश चंद घिल्डियाल व श्रीमती गोदाम्बरी देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द घिल्डियाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मैं प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूँ कि भविष्य में श्री कैलाश चंद घिल्डियाल अपने शस्त्र लाईसेंस का गलत दुरूप्रयोग कर बड़ी घटना कारित कर सकते हैं, जिससे कि कोई बडी हानि होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया बलयुक्त प्रतीत होता है। उपरोक्त के दृष्टिगत विपक्षी को जारी शस्त्र लाईसेंस सख्या–LN34041A7A53519/123/PS Nehru Colony DDUN यूआईएन नम्बर 340530018917822015 को जनहित में निलम्बित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त के आलोक में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

अन्तरिम आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी श्री कैलाश चंद घिल्डियाल पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी मकान सं0–118, ए ब्लॉक, अमरनाथ कॉलोनी रेसकोर्स देहरादून को स्वीकृत शस्त्र लाईसेंस सख्या–LN34041A7A53519/123/PS Nehru Colony DDUN डी.बी.बी.एल. गन यूआईएन नम्बर 340530018917822015 को जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी का शस्त्र राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखें। तद्नुसार विपक्षी को इस आदेश के सापेक्ष अपना पक्ष 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए इस आशय का नोटिस जारी हो कि क्यों न उक्त लाईसेंस को अन्तिम तौर पर निरस्त कर दिया जाये। आदेश की प्रति सम्बन्धितों को जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 15–07–2025

(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।